OFFICE OF THE PRINCIPAL & CONTROLLER,
RUHS COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES,
Sector – 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur - 302033
Ph. 0141-2795624, 634, E-mail : principalruhscms@ruhsraj.org

No. RUHS CMS/Store/2024-25/5672

Date...18/10/24

सीमित निविदा आमन्त्रण सूचना

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख–रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की सेवा उपाप्त करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के अनुसार रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मों/लेखा सेवा प्रदाता फर्मों से संलग्न प्रारूप में दिनांक 24/10/24 को दोपहर 02:00 बजे तक सीमित निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं– (................................)

क्र.सं.	कार्य का नाम (मय विनिर्देशों के)	वार्षिक अनुमानित लागत
01	कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख–रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की सेवा उपाप्त करने हेतु खुली निविदा।	1,40,000/–

- Details may be seen in the Bidding Document at the website http.//eproc.rajasthan.gov.in or RUHS CMS Website www.ruhscms.org, or the website of State Public Procurement Portal sppp.raj.nic.in

Principal,
RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

Office of the Principal & Controller, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur)

Address : Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone : +91-141-2795634

Fax : +91-141-2795550

Website : www.ruhscms.org

Email: principalruhscms@ruhsraj.org

ruhscmsstore@ruhsraj.org

No. RUHS-CMS/Store/2024-25/ 5672

Date 18/10/24

सीमित निविदा

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख–रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की सेवाएं सीमित निविदा के आधार पर उपाप्त करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के अनुसार रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मों/लेखा सेवा प्रदाता फर्मों से संलग्न प्रारूप में दिनांक 24/10/24 को दोपहर 02:00 बजे तक सीमित निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं–

क्र.सं.	कार्य का नाम (मय विनिर्देशों के)	वार्षिक अनुमानित लागत
01	कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख–रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की सेवा उपाप्त करने हेतु सीमित निविदा।	1,40,000/–

कार्य का विवरण :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, जिनमें निम्नानुसार कार्य सम्मिलित हैं–

- नकद प्राप्ति कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी करना।
- कैश बुक, लेजर, तलपट, बैलेंस शीट, फॉर्म 16 बनाना।
- मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाना व माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना एवं अनुबंध अवधि के अंतिम माह का बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करने पर अंतिम भुगतान किया जायेगा।
- मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आयकर एवं जी.एस.टी. के चालान व विवरण तैयार करना एवं सम्बंधित विभाग में दाखिल करना तथा आयकर व जी.एस.टी. से संबंधित सभी कार्य।
- संस्था कार्यालय के आयकर एवं जी.एस.टी. चैक/चालान एवं टी.डी.एस. चैक/चालान जमा कराना।
- बजट हैड के अनुसार प्रति माह मदवार आय–व्यय विवरण तैयार करना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के बैंक खाते की बैंक से साप्ताहिक आधार पर नकद प्राप्ति एवं खर्च की रिपोर्ट प्राप्त कर उनमें किसी प्रकार की कमी होने पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की लेखा शाखा को उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की भविष्य में होने वाली वैधानिक, आन्तरिक एवं राजकीय ऑडित हेतु संपूर्ण वांछित कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड उपलब्ध कराना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के वार्षिक बजट तैयार करने हेतु बजट मदवार वांछित डाटा उपलब्ध कराना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर तैयार करना।
- समस्त प्रकार के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण के डाटा का नियमित रूप से अपडेट कम्प्यूटर में दर्ज करना एवं आपातकालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्त डाटा के संरक्षण हेतु नियमित रूप से बैकअप लेना।
- उक्त कार्य हेतु नियुक्त किये जाने वाले अनुबन्ध संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम व प्रशिक्षित व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम. (With Tally Expert) होना अनिवार्य हैं।
- फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति कार्यालय समय में सुनिश्चित की जायेगी ताकि आवश्यकता होने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा सके।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा आवश्यकता दर्शाने पर संरक्षित किये गये डाटा को बहाल करना।
- जी.एस.टी. से सम्बन्धित रिटर्न बनाकर निर्धारित समयावधि के भीतर सम्बन्धित विभाग में दाखिल करना व जीएसटी से संबंधित अन्य सभी कार्य।
- महाविद्यालय का लेखा संधारण व लेखा पुस्तकों का रखरखाव पृथक–पृथक रखा जावेगा।
- अन्य सभी संबंधित कार्य।

17.x.24

भाग–अ तकनीकी बोली प्रपत्र

Sr.No.	Information Required	Details of Information presented
01.	Name and Address of the firm	
02.	Date of Establishment (Enclose Details)	
03.	Status of the Firm whether a proprietorship or registered under the Companies Act. Please give Details & Enclose Certificate.	
04.	PAN Details	
05.	GST Registration Details	
06.	Registration Certificate of ICAI	
07.	Set Up of Firm (Complete Details of Staff etc. Enclose list)	
08.	Minimum 3 Year of Similar Work Experience required (Enclose supporting Docs.)	
09.	Details of Turn-over during last three years for 2021-22, 2022-23, 2023-24 (Enclose attested Certificate). Annual Average Turnover should be not less than 5 Lakh.	
10.	Awards for Excellency If any.	

17.x.24

भाग–ब वित्तीय बोली

नोटः– कृपया वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली दरें निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप में ही भरें। वित्तीय निविदा में दरें प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा में वर्णित समस्त शर्तों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दर राशि रू. मासिक (अंकों एवं शब्दों में)	कर राशि रू. (वर्तमान प्रचलित दर अनुसार)	कुल राशि रू. (कर सहित) अंकों एवं शब्दों में
01	कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख–रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु सीमित निविदा			

निविदा की विशिष्ट शर्तें।

1. सीलबन्द निविदाएँ जिन पर **''राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण एवं लेखा पुस्तकों का रख–रखाव हेतु सीमित निविदा''** स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। सीलबन्द निविदा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के पते पर प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 24/10/24 को दोपहर 02:00 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत की जानी होगी, प्राप्त निविदाएँ उसी दिवस को दापहर 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा प्रतिनिधियों के समक्ष सक्षम प्राधिकारी समिति द्वारा खोली जायेंगी।
2. निविदा **''एकल कवर प्रणाली''** के अनुसार प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। जिसमें भाग 'अ'–तकनीकी बोली प्रपत्र एवं भाग 'ब'–वित्तीय बोली दोनों शामिल होंगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म को अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का उक्त कार्य करने का अनुभव प्रस्तुत करना होगा। जो किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी/गैर सरकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म का आई.सी.ए.आई. से रजिस्ट्रेशन पश्चात् चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के रूप में स्थायित्व दिनांक 1/9/24 को न्यूनतम 5 वर्ष का होना अनिवार्य है।
5. निविदादाता फर्म नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की सूची में सूचीबद्ध होनी चाहिए।
6. निविदानुसार निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाली फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निविदादाता फर्म को निविदा में विनिर्दिष्ट समस्त कार्यों एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें मासिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा में, निविदा शर्तों के अलावा दी गई सशर्त बोली प्रस्ताव को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. जी.एस.टी. अथवा अन्य कर जो भी राजस्थान सरकार के नियमानुसार लागू हों, पृथक रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
10. सफल निविदादाता फर्म को राशि रू.500/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर लिखित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा, जिसमें प्रारम्भिक अवधि अनुबन्ध/कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध की अवधि को दोनों पक्षों की सहमती से भविष्य में नियमानुसार बढाया जा सकता है।
11. सफल निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षित सेवा बिन्दु को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की लेखा शाखा के अधीन कार्य करना होगा।
12. सफल निविदादाता फर्म को अनुबन्ध के तहत अपनी जिम्मेदारी/जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। इस हेतु फर्म को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा देय वार्षिक भुगतान का 2.5 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में महाविद्यालय कोष में जमा कराना अनिवार्य है। सुरक्षा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में ''प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर'' के नाम देय प्रस्तुत करनी होगी, जिसे अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्वतः ही सफल निविदादाता को लौटा दिया जायेगा।
13. निविदा के किसी भी भाग/अंश/शर्त आदि में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।

17.X.24

14. सफल निविदादाता फर्म की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबंध को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
15. उक्त सेवा प्रदाय करने हेतु सफल निविदादाता फर्म को निर्धारित योग्यताधारी प्रशिक्षित सेवा बिन्दु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त नियुक्त सेवा बिन्दु के किसी दिवस सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर दैनिक आधार पर राशि 200.00 की कटौती की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्त सेवा बिन्दु द्वारा वांछित कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर कुशलता एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जावे। उक्त में लापरवाही करने पर प्रथमतः राशि रू. 1000.00, द्वितीयतः राशि रू. 2000.00 व तृतीयतः राशि रू. 3000.00 की पैनल्टी लगाई जायेगी व लगातार लापरवाही जारी रहने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
16. आयकर एवं जी.एस.टी. से सम्बन्धित चालान/विवरण समय से जमा/फाईल नहीं किए जाने पर देय पेनल्टी फर्म से वसूल की जाएगी।
17. सेवा प्रदाता फर्म को कम्प्यूटर/इन्फ्रस्ट्रक्चर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त कम्प्यूटर/इन्फ्रस्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का नुकसान/हानि होने की अवस्था में मरम्मत/रिप्लेसमेन्ट पर आने वाले खर्च का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर किया जायेगा।
18. सेवा प्रदाता फर्म को कार्य/सेवा का निष्पादन कर एवं किये गये कार्य की संताषप्रद रिपोर्ट मासिक आधार पर महाविद्यालय लेखा शाखा से बिल पर प्राप्त कर बिल प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रधानाचार्य, **राज. स्वा.वि.वि.** आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। साथ ही फर्म को अंतिम भुगतान अनुबंध अवधि के अंतिम माह का बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करने पर होगा। मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए सेवा प्रदाता फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
19. अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान देय नही होगा।
20. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा नियुक्त सेवा बिंदु द्वारा यदि कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही की जाती है तो ऐसी दशा में उक्त सेवा बिन्दु दाता को तुरन्त प्रभाव से निष्कासित करने का अधिकार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पास सुरखित होगा। साथ ही उक्त लापरवाही अथवा अनियमित्ता के कारण उत्पन्न कोई वित्तीय भार सेवा प्रदाता फर्म से वसूला जायेगा।
21. यदि सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तोंनुसार कार्य का निष्पादन नहीं किया जाता है एवं कार्य में लापरवाही की जाती है तो ऐसी दशा में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा किसी अन्य सेवा प्रदाता फर्म से कार्य करवाया जाकर उसके सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण खर्च का भुगतान अनुबन्धित फर्म से लिया जाकर सेवा प्रदाता फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल राशि का 10 प्रतिशत शस्ति लगाई जावेगी व सुरक्षा राशि जब्त कर जी जायेगी।
22. सेवा प्रदाता फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर,जी.एस.टी. की कटौती की जावेगी।
23. राज्य व केन्द्र सरकार के समस्त कानूव व नियमों की पालना की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होगी।
24. यदि अनुबन्ध की शर्तों की पूर्ण रूप से अनुपालना नही की जाती है तथा इससे किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिमि में प्राधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा किया गया निर्णय ही दोनों पक्षों पर मान्य होगा। विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।
25. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की सभी शर्तें यथावत लागू होंगी।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

No.RUHSCMS/Store/2024-25/......................

Date.....................

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड एवं राजस्थान लोक उपामन पोर्टल तथा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

17.x.24